झंझारपुर अनुमण्डल न्यायालय

14 अराजपत्रित पद स्वीकृत

पटना, 23 जुलाई । मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमण्डल न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद सृजन की स्वीकृति सरकार ने दी है । मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन प्रशासी पदवर्ग समिति की जून के प्रथम सप्ताह में आयोजित बैठक में किया गया था । उसके अनुरूप सिरस्तेदार, लिपिक, स्टोनोग्राफर, डिपोजिशन राईटर, चालक, आदेशपाल एवं अरदली के लिए कुल चौदह पदों को सृजन के योग्य समझा गया । इन्हीं पदों के सृजन का प्रस्ताव था, जिसका अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल 28 लाख 46 हजार 640 का व्यय भार सरकार पर पड़ेगा ।

उल्लेख्य है कि, झंझारपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की चिर लम्बित मांग थी जिसे पुरा करने के लिए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्रा द्वारा लम्बे समय से पहल किया जा रहा था । अंततः 15 मई, 2014 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झंझारपुर के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दो पदों का सृजन किया गया था ।

माननीय उच्च न्यायालय के निबंधक(प्रशासन) एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय द्वारा झंझारपुर के लिए स्थायी रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार को समर्पित किया गया था ।

मालूम हो कि उच्च न्यायालय पटना के निबंधक(प्रशासन) द्वारा न्यायमंडल मधुबनी के अधीन झंझारपुर अनुमण्डल में कुल दो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों की स्थापना के लिए सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश विधि विभाग को दिया गया था । इसमें अराजपत्रित पदों का सृजन भी सन्निहित था ।